

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/आर-164/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० रश्मि कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री एवं प्रसव रोग), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के दिनांक 05.04.2025 से 16.04.2025 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक 05.04.2025 से 06.04.2025 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
ii	दिनांक 07.04.2025 से 15.04.2025 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
iii	दिनांक 16.04.2025	- पदग्रहण काल के रूप में।

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-164/2026-- 1821 (3) पटना, दिनांक 31/7/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० रश्मि कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री एवं प्रसव रोग), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

35
29/7/2026
सरकार के अवर सचिव